Knowledgeable Research –Vol.1, No.10, May *2023*

Web: http://www.knowledgeableresearch.com/

उत्तर प्रदेष में पंचायती राज: एक अध्ययन

डॉ आशीष शाक्य
सी एम जे विश्वविद्यालय
शिलांग मेघालय
Email: monojkm.chaturvedi@gmail.com

****

ABSTRACT

अन्य राज्यों के समान 73वें संविधान के प्रति उत्तर प्रदेश का प्रारम्भिक प्रत्युत्तर बड़ा शिथिल था। इसका एक कारण यह था कि जिस समय ये संशोधन पारित हुए, उत्तर प्रदेश में अयोध्या की घटना के कारण भारतीय जनता दल की कल्याण सिंह सरकार को निष्कासित कर, राष्ट्रपति शासन लगा हुआ था। यद्यपिइ न माालों को देखने के लिए नौकरशाहों की समितियाँ गठित की गयीं, किन्तु इनका कोई विशेष परिणाम नहीं निकला। तब भी कुछ प्रारम्भिक कार्य किया गया और परिणामस्वरूप जब मुलायम सिंह, समाजवादी दल- बहुजन समाजवादी दल की सरकार के मुख्यमंत्री बने तो नयी सरकार के विचारार्थ एक प्रकार का प्रारूप तैयार था। प्रारम्भ में संशोधन पर स्वयं राज्य सरकार को अनेक आपत्तियाँ थीं परन्तु अन्ततः संशोधनों के क्रियान्वयन की विधि द्वारा निर्धारित एक वर्ष की अवधि शीघ्रता से समाप्त हो रही थी, इसलिए इस अवधि के अंतिम दिन देर रात्रि में इन संशोधनों से सम्बन्धित आवश्यक कानून राज्य विधान-मण्डल द्वारा जल्दबाजी में पारित कर दिये गये। वास्तव में ये दोनों सदनों में बिना किसी चर्चा अथवा विचार विमर्श के पारित हुए। इस अध्याय में यह वर्णित है कि 73वें और 74वें संशोधन उत्तर प्रदेश में कहाँ तक लागू किये गये हैं।

Keywords: *पंचायती राज, उत्तर प्रदेष, बहुजन समाजवादी दल, पंचायतराज अधिनियिम, संविधान संशोधन*

****

अनेक अन्य राज्यों के समान 73वें संविधान के प्रति उत्तर प्रदेश का प्रारम्भिक प्रत्युत्तर बड़ा शिथिल था। इसका एक कारण यह था कि जिस समय ये संशोधन पारित हुए, उत्तर प्रदेश में अयोध्या की घटना के कारण भारतीय जनता दल की कल्याण सिंह सरकार को निष्कासित कर, राष्ट्रपति शासन लगा हुआ था। यद्यपिइ न माालों को देखने के लिए नौकरशाहों की समितियाँ गठित की गयीं, किन्तु इनका कोई विशेष परिणाम नहीं निकला। तब भी कुछ प्रारम्भिक कार्य किया गया और परिणामस्वरूप जब मुलायम सिंह, समाजवादी दल- बहुजन समाजवादी दल की सरकार के मुख्यमंत्री बने तो नयी सरकार के विचारार्थ एक प्रकार का प्रारूप तैयार था। प्रारम्भ में संशोधन पर स्वयं राज्य सरकार को

अनेक आपत्तियाँ थीं परन्तु अन्ततः संशोधनों के क्रियान्वयन की विधि द्वारा निर्धारित एक वर्ष की अवधि शीघ्रता से समाप्त हो रही थी, इसलिए इस अवधि के अंतिम दिन देर रात्रि में इन संशोधनों से सम्बन्धित आवश्यक कानून राज्य विधान-मण्डल द्वारा जल्दबाजी में पारित कर दिये गये। वास्तव में ये दोनों सदनों में बिना किसी चर्चा अथवा विचार विमर्श के पारित हुए। इस अध्याय में यह वर्णित है कि 73वें और 74वें संशोधन उत्तर प्रदेश में कहाँ तक लागू किये गये हैं।

73वें संशोधन का क्रियान्वयन:-

73वें संशोधन के पूर्व, उत्तर प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था निम्नांकित कानूनों पर आधारित थीः

1. उत्तर प्रदेश पंचायतराज अधिनियिम, 1447।

2. उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद अधिनियम, 1961।

73वें संशोधन के परिणामस्वरूप उत्तर प्रदेश विधान-मण्डल के उत्तर प्रदेश पंचायत विधि (संशोधन) अधिनियम, 1994 पारित किया। यह अधिनियिम 1947 तथ 1961 के उपरोक्त दोनों अधिनियमों को 73वें संशोधना की व्यवस्थाओं के अनुसार संशोधित करता तथा उन्हें एक साथ जोड़ता भी है। तदनुसार, उत्तर प्रदेश में नवीन पंचायती राज व्यवस्था निम्नलिखित है।

त्रि-स्तरीय संरचना सुरक्षित:-

73वॉ संशोधन केवल उन राज्यों को छोड़कर, जिनकी जनसंख्या 20 लाख से अधिक नहीं है, प्रत्येक राजय में पंचायतीराज की ग्राम, मध्य तथा जनपद स्तरों की त्रि-स्तरीय व्यवस्था की स्थापना करने के लिए बाध्य करता है। उत्तर प्रदेश में 73वें संशोधन के पूर्व ग्राम, खण्ड तथा जनपद स्तरों पर पहले से ही त्रि-स्तरीय व्यवस्था थी, अतः 73 वॉ संशोधन इसे और अधिक सृदृढ़ कर देता है।

नामावली में परिवर्तन

73 वें संशोधन के परिणामस्वरूप उत्तर प्रदेश में पंचायतीराज संस्थाओं के नये नाम हो गये हैं, जो कि निम्नवत् है।

क्रम संख्या	स्तर	नामावली	73वें संशोधन के पूर्व	73वें संशोधन पश्चात्	
1.	ग्राम	गाँव सभा	गाँव पंचायत	ग्राम सभा	ग्राम पंचायत
2.	खण्ड	क्षेत्र समिति	क्षेत्र पंचायत		
3.	जनपद	जिला परिषद	जिला पंचायत		

इस प्रकार, अब ग्राम स्तर पर समस्त मतदाताओं की समान्य सभा को ग्राम सभा और इसकी कार्यकारिणी को ग्राम पंचायत सम्बोधित किया जायेगा। खण्ड स्तर पर अव्यवस्थित स्थानीय इकाई को क्षेत्र पंचायत तथा जनपद स्तर पर जिला पंचायत नामकरण कर दिया गया है।

संरचनात्मक परिवर्तन

1994 के उत्तर प्रदेश अधिनियम के अनुसार, ग्राम सभा किसी एक ग्राम अथवा ग्रामों के ऐसे समूह को मिलाकर गठित होगी, जिसकी जनसंख्या 1,000 हो। इस अधिनियम के पूर्व यह जनसंख्या 250 निर्धारित की गयी थी। इस प्रकार, उत्तर प्रदेश के नये अधिनियम के द्वारा ग्राम सभाओं की संख्या वास्तव में घट गयी है, यद्यपि इसके लिए 73 वॉ संशोधन किसी रूप में उत्तरदायी नहीं है। वास्तव में उत्तर प्रदेश ने यह लाभ इसलिए लिया, क्योंकि 73 वॉ संशोधन इस विषय पर कुछ नहीं कहता। प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में 1994 का अधिनियम राज्य सरकार की 1,000 से भी कम जनसंख्या पर ग्राम सभा के गठन का अधिकार प्रदान करता है। ऐसा इसलिए, क्योंकि पर्वतीय क्षेत्रों में जनसंख्या का घनत्व असाधारण रूप से कम होता है।

अन्य दो स्थानीय इकाइयों के सम्बन्ध में कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ। इस प्रकार पूर्वो भॉति, क्षेत्र पंचायत प्रत्येक खण्ड में तथा जिला पंचायत प्रत्येक जनपद में स्थापित की गयी है।

गठन:-

अब तक ग्राम पंचायतें सीधे जनता द्वारा निर्वाचित थीं, जबकि खण्ड और जनपद स्तरों की स्थानीय इकाइयाँ अप्रत्यक्ष रूप से गठित थी। इस व्यवस्था में अब परिवर्तन आ गया है, क्योंकि 73 वॉ

संशोधन यह निर्देश देता है कि समस्त स्तरों की समस्त पंचायतों में समस्त स्थान प्रत्यक्ष निर्वाचन से भरे जायेंगे। तदनुसार, 1994 का प्रदेश अधिनियम पंचायतीराज के तीनों स्तरों पर प्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था करता है। यह व्यवस्था निम्नवत् है:

1. प्रत्येक ग्राम पंचायत में, प्रधान के अतिरिक्त, निम्न संख्या में ग्राम सभा के पंजीकृत मतदाताओं द्वारा सीधे निर्वाचित सदस्य होगे,

क- यदि ग्राम सभा की जनसंख्या 1,000 तक है तो 9 सदस्य।

ख- यदि ग्राम सभा की 1,000 से अधिक परन्तु 2,000 से कम है, तो 11 सदस्य।

ग- यदि ग्राम सभा की जनसंख्या 2,000 से अधिक परन्तु 3,000 से कम है, तो 13 सदस्य।

2. प्रत्येक क्षेत्र पंचायत में खण्ड स्तर पर पंजीकृत मतदाताओं द्वारा निर्वाचित सदस्य, जहाँ तक सम्भव हो, प्रत्येक 2,000 की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि के आधार पर होंगे(पर्वतीय क्षेत्रों में एक किलोमीटर अर्द्धव्यास अथवा दो किलोमीटर व्यास से एक प्रतिनिधि चाहे जनसंख्या 2,000 से भी कम हो।)

3. प्रत्येक जिला पंचायत में जनपद के पंजीकृत मतदाताओं द्वारा जहाँ तक सम्भव हो, प्रत्येक 50,000 जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि होगा (पर्वतीय क्षेत्र में प्रत्येक 7 किलोमीटर अर्द्धव्यास अथवा 14 किलोमीटर व्यास पर एक प्रतिनिधि, चाहे जनसंख्या 50,000 से कम क्यों न हो)।

निर्वाचित सदस्यों के अतिरिक्त, 73 वॉ संशोधन राज्यों को मध्य एवम् जनपद स्तर की पंचायतीराज संस्थाओं में पदेन सदस्यों को रखने की स्वेच्छा प्रदान करता है। तद्नुसार, प्रदेश में यह प्रावधान है कि ग्राम पंचायतों के प्रधान क्षेत्र पंचायतों मे तथा क्षेत्र पंचायतों के प्रमुख जिला पंचायतों में पदेन सदस्य होंगे। इस प्रकार, प्रत्येक क्षेत्र पंचायत में उस क्षेत्र की सीमा के अन्दर वाली समस्त ग्राम पंचायतों के प्रधान होंगे। इसी प्रकार, जिला पंचायत में उसकी सीमा मंे आने वाली समस्त क्षेत्र पंचायतों के प्रमुख होंगे। इसके अतिरिक्त 1994 को उत्तर प्रदेश अधिनियम खण्ड एवम् जनपद स्तर पर पंचायतीराज संस्थाओं में संसद तथा राज्य विधान-मण्डल के सदस्यों को पदेन सदस्य बनाने की

व्यवस्था करता है। तदनुसार, लोक सभा और विधान सभा के सदस्य उन संस्थाओं के सदस्य हांेगे, जिनके निर्वाचन-क्षेत्र पूर्ण अथवा आंशिक रूप से, जिन स्थानीय इकाइयों की सीमाओं के अन्दर आते हों। उसी प्रकार राज्य सभा तथा विधान सभाओं के सदस्य उन पंचायतीराज संस्थाओं के पदेन सदस्य होंगे, जिनकी सीमाओं के अन्दर वे मतदाता के रूप में पंजीकृत हों। इन पदेन सदस्यों को सम्बन्धित इकाइयों की बैठकों में भाग लेने तथा निर्वाचित सदस्यों के समान सभी विषयों पर मत देने का अधिकार भी प्राप्त होगा, मात्र इस अपवाद के कि इन इकाइयों के पीठासीन अधिकारियों, अर्थात क्षेत्र पंचायतों के प्रमुख अथवा उप-प्रमुख तथा जिला पंचायत के सभापति एवम् उप-सभापति के विरूद्ध अविश्वास के प्रस्ताव पर इन्हें मत देने का अधिकार प्राप्त न होगा। इस प्रकार उत्तर प्रदेश में पदेन सदस्यों के अधिकार आंशिक रूप से सीमित कर दिये गये हैं, जबकि पूर्व में उन्हें प्रत्येक विषय पर मत देने का अधिकार प्राप्त था।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची:

1. भट्ट, जयश्री समाज कल्याण: नारी दीक्षा संस्कृति, आदित्य पब्लिशर्स, बीना (म.प्र.) 1998।

2. चक्रवर्ती, के.एवं. भटटाचार्य, एस.के.य लीडशिप फैक्शंस एण्ड पंचायत राज, रावत पब्लिकेशंस, जयपुर, 1993।

3. चटर्जी, एस. के. द शिड्युल कास्टस इन इण्डिया (4जिल्द), ज्ञान पब्लिशिंग हाऊस, नई दिल्ली, 1995।

4. चौधरी डी.एस. इमर्जिंग रूरल लीडरशिप इन इण्डियन स्टेटस, मंथन पब्लिकेशंस, नई दिल्ली, 1981।

5. दरसानक, एस.आर. लीडरशिप इन पंचायत राज प्रकाशन, जयपुर, 1979।

6. दास, प्रवाकर इमर्जिग पैटर्न ऑफ लीडरशिप इन ट्रायबल इण्डिया, मानक पब्लिकेशंस, नई दिल्ली, 1994।

7. ढिल्लन, एस.एस. लीडरशिप एण्ड ग्रुप्स इन साउथ इण्डिया विलेजज, प्रोग्राम इवेल्युशन आर्गेनाइलजेशन, योजना आयोग, नई दिल्ली 1955।

8. घोष, भोलानाथ, रूरल लीडरशिप एण्ड डैवलपमेंट, मोहित पब्लिकेशंस, नई दिल्ली, 1996।